هندي

सही अकीदा संबन्धित कुछ महत्वपूर्ण मसअले

مسائل مهمة

في العقيدة الصحيحة

संकलन :

शैख मुहम्मद जमील जैनू

إعداد

فضيلة الشيخ: محمد جميل زينو

अनुवाद :

मुहम्मद सलीम साजिद अल-मदनी

ترجمة

محمد سليم ساجد المدني

هندي

مسائل مهمة في العقيدة الصحيحة

सहीह अक़ीदा सँबन्धित कुछ महत्वपूर्ण मसअले

संकलन :

शैख़ मोहम्मद जमील ज़ैनू

अनुवाद :

मोहम्मद सलीम साजिद नेपाली

आमन्त्रण तथा प्रदर्शन सहयोगी कार्यालय गर्बुद्दिरा

फ़ोन : ४३९१९४२ फैक्स : ४३९१८५१

पो॰ बक्स नं॰: १५४४८८ रियाध : ११७३६

ح مكتبة توعية الجاليات بغرب الديرة ، ١٤٢٥هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

زينو ، محمد جميل

مسائل مهمة في العقيدة الصحيحة / محمد جميل زينو ؛ محمد سليم ساجد النيبالي . - الرياض ، ١٤٢٥هـ

.. ص ؛ .. سم

ردمك : ٠-٨-٩٤٧٥-٩٩٦٠

(النص باللغة الهندية)

١ - التوحيد ٢ - العقيدة الاسلامية أ النيبالي ، محمد سليم ساجد (مترجم) ب . العنوان

ديوي ٢٤٠ ١٤٢٥/٤٦٥٤

رقم الإيداع : ١٤٢٥/٤٦٥٤

ردمك : ٠-٨-٩٤٧٥-٩٩٦٠

بسم الله الرحمن الرحيم

विषय सूची



बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

"उस अल्लाह के नाम से आरम्भ करता हूँ जो महान कृपालु एवं दयालु है।"

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ..... أما بعد:

हर प्रकार की स्तुति एवं प्रशंसाएं अल्लाह के लिए हैं, तथा अल्लाह के रसूल (संदेशवाहक) पर दरूद और सलाम हो।

इस पुस्तिका में इस्लामी अक़ीदा पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण मसअलों को प्रश्न-उत्तर के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह मसअले शैख़ मोहम्मद जमील ज़ैनू की पुस्तक (अल अक़ीदा अल-इस्लामिया मिनल किताबे वस्सुन्नह अस्सहीहा) से संकलित किये गये हैं। यद्यपि इन मसअलों की जानकारी कुछ मुसलमानो को अवश्य है, परन्तु मुसलमानो की बहुमत इन से अनभिज्ञ है। अल्लाह तआला से प्रार्थना है कि इस पुस्तिका को पढ़ने एवं लिखने वाले के लिए लाभदायक बनाए। नि:संदेह अल्लाह बड़ा ही दयालु एवं कृपालु है। तौफीक तथा साहस देने वाला केवल अल्लाह है।



हमारी सृष्टि का उद्देश्य

प्र-१: अल्लाह तआला ने हमें क्यों पैदा किया ?

उ-१: अल्लाह तआला ने हमें इसलिए जन्म दिया है कि हम केवल उसी की पूजा और इबादत करें, एवं उसके साथ किसी को साझी न ठहरायें। अल्लाह का फ़रमान है :

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ﴾ (الذاريات:٥٦)

"मैंने जिन्न एवम मनुष्य को इस लक्ष्य से जन्म दिया है कि वह केवल मेरी भक्ति करें।" (अल ज़ारियात:५६)

नबी ﷺ का कथन है :

«حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا»

(متفق عليه)

"अल्लाह का अधिकार उपासकों पर यह है कि वह अल्लाह की पूजा करें एवम उसके साथ किसी को

साझी न बनायें ।" (बुख़ारी, मुस्लिम)

प्र-२: इबादत (उपासना) का अर्थ क्या है ?

उ-२: इबादत प्रत्येक प्रत्यक्ष तथा अंतरात्मक बचन एवं कर्म को कहते हैं जो अल्लाह के निकट मनोनीत हैं तथा अल्लाह उन से प्रसन्न होता है । उदाहरणार्थ: दुआ, नमाज़, आराधना, ख़ुशूअ, विनय ईत्यादि । अल्लाह तआला का बचन है :

﴿قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (الأنعام:١٦٢)

"ऐ नबी! (संदेशवाहक) आप कह दें कि मेरी नमाज़, बलिदान, जीवन तथा निधन केवल अल्लाह के लिए हैं, जो पूरी जगत का परमात्मा है ।" (अल-अन्आम:१६२)

एक हदीसे क़ुदसी में अल्लाह का कथन है :

«قال تعالى ..... وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه» (حديث قدسي رواه البخاري)

"मेरे निकट सबसे रूचिकर वस्तु जिसके द्वारा मेरा

उपासक मेरी समीपता प्राप्त करता है, वह कार्य है जिसे मैंने उसके ऊपर अनिवार्य घोषित किया है।" (सहीह बुख़ारी)

प्र–३: इबादत (उपासना) के कितने प्रकार हैं ?

उ–३: इबादत के विभिन्न प्रकार हैं, जैसे: दुआ करना, पुकारना, भयभीत होना, आशा रखना, भरोसा करना, इच्छुक होना, डरना, बलिदान देना, नज़र नियाज़ (भेट, चढ़ावा) देना, रुकूअ करना, सज्दा करना, तवाफ़ करना, शपथ खाना, मध्यस्थ बनाना, इत्यादि । इसके अतिरिक्त भी इबादत के बहुत से प्रकार हैं ।

प्र–४: अल्लाह ने पैग़म्बरों (संदेशवाहकों) का अवतरण क्यों किया ?

उ–४: अल्लाह ने संदेशवाहकों का अवतरण इस उद्देश्य से किया कि वे मानव को अल्लाह की पूजा और इबादत की ओर आमन्त्रित करें एवं शिर्क (अनेकेश्वरवाद) का अंत करें । अल्लाह का वचन है :

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾ (النحل:٣٦)

"नि:संदेह हम ने प्रत्येक सम्प्रदाय में इस आज्ञा के साथ एक दूत पठाया कि -ऐ लोगो- केवल एक अल्लाह की पूजा करो तथा ताग़ूत से बचो।" (अल-नहल: ३६)

ताग़ूत: अल्लाह के अलावा जिसकी लोग पूजा करते हैं, और उसे पुकारते हैं, वह ताग़ूत है। जबकि वह इस पूजा एवम पुकार से प्रसन्न हो। नबी ﷺ फ़रमाते हैं :

«الأنبياء إخوة... ودينهم واحد» (متفق عليه)

"पैग़म्बर (संदेशवाहकगण) आपस में भाई-भाई हैं, एवं उनका धर्म एक ही है।"

अर्थात प्रत्येक ने एकेश्वरवाद की ओर मानव को आमन्त्रित किया।



तौहीद के प्रकार

प्र-५: तौहीद रुबूबियत किसे कहते हैं ?

उ-५: अल्लाह को उसके कार्य में अकेला मानना एवं यह स्वीकार करना कि सृष्टिकर्ता वही है, अन्नदाता वही है, मृत्यु तथा जीवनदाता वही है, लाभ एवं हानिकारिता उसी के अधिकार में है, इत्यादि। अल्लाह तआला का फ़रमान है :

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (الفاتحة:٢)

"हर प्रकार की स्तुति, प्रशंसा उसी अल्लाह के लिए उचित है, जो सारी जगत का परमात्मा है।" (अल-फ़ातेहा:२)

नबी ﷺ फ़रमाते हैं :

«أنت رب السموات والأرض» (متفق عليه)

"तू ही आकाश एवं धरती का ईश्वर है।" (सहीह बुख़ारी, मुस्लिम)

प्र-६: तौहीद उलूहियत क्या है ?

उ-६: भक्ति एवं इबादत में अल्लाह को अकेला मानना। अर्थात केवल एक अल्लाह की पूजा करना। उसी को पुकारना, उसी के लिए बलिदान देना, नज़र व नियाज़ (भेंट, चढ़ावा) उसी के लिए करना, उसी को मध्यस्त बनाना, उसी के लिए नमाज़ पढ़ना, उसी से आशा रखना, उसी से भयभीत होना, उसी से सहायता माँगना तथा उसी पर भरोसा करना, इत्यादि। अल्लाह का वचन है :

﴿وَإِلَـهُكُمْ إِلَـهٌ وَاحِـدٌ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُـوَ الرَّحْمَـانُ الرَّحِيـمُ﴾

(البقرة:١٦٣)

"तुम्हारा पूजित ईश्वर केवल एक है। उसके अलावा कोई अन्य पूजित नहीं है, और वह बड़ा ही दयालु एवं कृपालु है।"

नबी ﷺ का फ़रमान है :

«فليكـن أول مـا تدعوهـم إليـه شـهادة أن لا إلـه إلا الله»

(متفق عليه) وفي رواية للبخاري "إلى أن يوحدوا الله"

"सर्वप्रथम मानव को इस बात की ओर आमन्त्रित करना कि वे साक्ष्य दें कि अल्लाह के अतिरिक्त कोई पूजनीय नहीं है। सहीह बुख़ारी की एक रिवायत में है : "मानव से अल्लाह के अद्वैत होने का स्वीकार कराओ।" (सहीह बुख़ारी, मुस्लिम)

प्र–७: तौहीद रुबूबियत एवं तौहीद उलूहियत का मतलब क्या है ?

उ–७: इन दोनों का मतलब यह है कि मनुष्य अपने महात्मा, पालनकर्ता एवं पूजित की श्रेष्ठता तथा महानता को जाने, फिर केवल उसी की पूजा करे। अपना जीवन उसके आदेश के अनुकूल बिताये। उस के दिल में ईमान मज़बूत हो जाये, तथा इस भूमि पर अल्लाह की शरीअत (नियम) लागू हो जाये।

प्र–८: तौहीद अस्मा व सिफ़ात किसे कहते हैं ?

उ–८: तौहीद अस्मा व सिफ़ात का उद्देश्य यह है कि उन नामों, विशेषताओं एवं ख़ूबियों को साबित किया जाये जो अल्लाह ने क़ुरआन में (अपने) प्रति अथवा नबी (संदेशवाहक) ने अल्लाह के प्रति सहीह हदीस

में बताया है। बिना तावील, तम्सील, तातील एवं तकयीफ़ के प्रमाणित करें। जैसे अर्श (सिंहासन) पर अल्लाह का बिराजमान (मुस्तवी) होना, संसारीय आकाश पर अल्लाह का नुज़ूल (अनुलोम) करना एवं अल्लाह के हाथ इत्यादि जो अल्लाह के सम्मान के लिए उचित हो।

तावील:

अल्लाह के नाम तथा सिफ़ात (विशेषता) का उल्टा व्याख्या करना।

तम्सील:

अल्लाह के नाम तथा सिफ़ात का किसी वस्तु के रूप में उदाहरण देना।

तातील:

अल्लाह के नाम तथा सिफ़ात को बेमाना (निरर्थक) घोषित करना।

तकयीफ़:

अल्लाह के नाम तथा सिफ़ात को किसी आकार के रूप में वर्णन करना।

अल्लाह का वचन है :

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ (الشورى:١١)

"अल्लाह के समान कोई वस्तु नहीं, और अल्लाह बहुत ही सुनने वाला एवं देखने वाला है।" (अल-शोरा:११)

नबी ﷺ फरमाते हैं :

«ينزل ربنا في كل ليلة إلى السماء الدنيا» (متفق عليه)

"'हमारा रब (परमात्मा) प्रत्येक रात्रि संसारीय आकाश पर नुज़ूल करता है।" (सहीह बुख़ारी, मुस्लिम)

अल्लाह का नुज़ूल (अनुलोम) करना, जो उसकी महानता के अनुकूल है, प्राणि वर्ग में से किसी के साथ उसका समाकार नहीं है।



महापाप

प्र-९: अल्लाह के निकट सबसे बड़ा पाप क्या है ?

उ-९: अल्लाह के निकट सब से बड़ा पाप शिर्क अकबर (महान अनेकेश्वरवाद) है । अल्लाह ने सदाचारी उपासक हज़रत लुक़मान के विषय में फ़रमाया कि उन्होंने अपने पुत्र से कहा :

﴿يَابُنَيَّ لاَ تُشْرِكْ بِاللّٰهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ (لقمان:١٣)

"ऐ मेरे प्रिय पुत्र! अल्लाह के साथ किसी को साझी मत बनाना, नि:संदेह शिर्क (अनेकेश्वरवाद) महान अत्याचार है ।" (लुकमान:१३)

जब नबी ﷺ से प्रश्न किया गया कि सब से महापाप कौन सा है? तो आप ने उत्तर दिया कि:

«أن تجعل لله ندا وهو خلقك» (متفق عليه)

"सबसे महापाप यह है कि तुम किसी को अल्लाह का शरीक एवं साझी बनाओ, हालाँकि तुम्हें

अल्लाह ने जन्म दिया है (तुम्हारी सृष्टि की है) ।" (सहीह बुख़ारी, मुस्लिम)

प्र-१०: शिर्क अकबर (महान अनेकेश्वरवाद) का अर्थ क्या है ?

उ-१०: शिर्क अकबर का अर्थ यह है कि इबादत, पूजा एवं भक्ति के प्रकारों में से किसी को अल्लाह के बिना अन्य किसी के प्रति किया जाये । जैसे: दुआ, पुकार, बलिदान इत्यादि ।

अल्लाह का फ़रमान है :

﴿وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ (يونس:١٠٦)

"अल्लाह के सिवाय किसी अन्य को मत पुकारो, जो तुझे न लाभ पहुँचा सके न हानि, यदि ऐसा करोगे तो अवश्य अत्याचारियों में से हो जाओगे ।" (यूनुस:१०६)

नबी ﷺ फ़रमाते हैं :

«أكبر الكبائر الإشراك بالله، وعقوق الوالدين وشهادة الزور» (رواه البخاري)

"सबसे महान अपराध (पाप) अल्लाह के लिए साझी ठहराना, माता-पिता की नाफ़रमानी (अवज्ञा) करना तथा झूठी गवाही देना है।" (बुखारी)

प्र-११: शिर्क अकबर के हानि क्या हैं ?

उ-११: शिर्क अकबर मनुष्य के लिए निरन्तरतापूर्वक नर्कवासी होने का माध्यम एवं कारण है। अल्लाह का वचन है :

﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ﴾ (المائدة:٧٢)

"जो अल्लाह के साथ किसी को साझी ठहरायेगा, उस पर अल्लाह ने स्वर्ग को हराम कर दिया है, और उसका ठिकाना नर्क है, एवं अत्याचारियों (अनेकेश्वरवादियों) के लिए कोई सहायक नहीं।" (अल-माईदा : ७२)

नबी ﷺ का प्रवचन है :

«ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار» (رواه مسلم)

"जो अल्लाह के साथ इस अवस्था में भेंट करेगा कि वह किसी को अल्लाह का साझी ठहराता था, तो वह नर्क में प्रवेश करेगा।" (सहीह मुस्लिम)

प्र-१२: अनेकेश्वरवादी यदि कोई शुभ कार्य करे तो उसे सवाब मिलेगा ?

उ-१२: अनेकेश्वरवादी के लिए शुभ कार्य लाभदायक नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह का फ़रमान है :

﴿وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (الأنعام:٨٨)

"यदि यह पैग़म्बर (संदेशवाहक) भी अल्लाह के साथ किसी अन्य को साझी ठहराते, तो इन के सभी पवित्र कार्य नष्ट हो जाते।" (अल-अन्आम:८८)

हदीसे क़ुदसी में अल्लाह का कथन है :

«أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه» (حديث قدسي)

"मैं साझीदारों से बेनियाज़ हूँ कि मेरे साथ किसी को साझी ठहराया जाये। जिस ने किसी कार्य में मेरे साथ किसी को साझी किया तो वह जाने एवं उसका काम जाने, मेरे साथ उसका कोई संबन्ध (लगाव) नहीं।"



शिर्क अकबर के कुछ प्रकार

प्र-१३: मृतकों एवं अनुपस्थित व्यक्तियों से मदद के लिए फ़रियाद करना कैसा है ?

उ-१३: पूर्वोक्त व्यक्तियों से फ़रियाद करना अवैधानिक है। हमें केवल अल्लाह से फ़रियाद करनी चाहिए। अल्लाह का वचन है :

﴿وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لاَ يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ○ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ﴾ (النحل: ٢٠، ٢١)

"अल्लाह के अलावा जिन्हें यह पुकारते हैं वे किसी भी वस्तु की सृष्टि नहीं कर सकते, बल्कि वे स्वयं जन्म दिये गये हैं, यह मरे हुए हैं, जीवित नहीं। इन्हे तो यह भी ज्ञान नहीं कि इन्हे कब्रों से पुनः कब उठाया जायेगा।" (अल-नहल: २०,२१)

नबी ﷺ का वचन है :

«يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث» (حسن، رواه الترمذي)

"ऐ हमेशा जीवित एवं क़ायम रहने वाले परमात्मा! मैं तेरी ही कृपा तथा दया का तालिब हूँ।" (सुनन तिर्मिज़ी) यह रिवायत हसन दर्जा की है।

प्र-१४: जीवित व्यक्तियों से मुसीबत में मदद के लिए फ़रियाद करना कैसा है ?

उ-१४: जीवित व्यक्तियों से मुसीबत में ऐसी मदद के लिए फ़रियाद करना जाइज़ है, जिसकी वे शक्ति रखते हों। अल्लाह तआला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के संबन्ध में फ़रमाता है :

﴿فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ﴾ (القصص:١٥)

"मूसा के समुदाय के एक व्यक्ति ने उनसे अपने शत्रु से बचाव के लिए फ़रियाद की, मूसा ने उसे एक मुक्का मारा और उसका अंत कर दिया।" (अल-क़सस:१५)

प्र-१५: क्या अल्लाह के बिना किसी से सहायता माँगना जाइज़ है ?

उ-१५: ऐसे कार्य एवं वस्तुओं में किसी से सहायता माँगना जाइज़ नहीं है, जिनकी क्षमता एवं शक्ति अल्लाह के अलावा किसी के पास न हो। अल्लाह का फ़रमान है :

﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ (الفاتحة:٥)

"ऐ परमात्मा! हम केवल तेरी पूजा करते हैं, और केवल तुझसे सहायता माँगते हैं।" (अल-फ़ातेहा:५)

नबी ﷺ फ़रमाते हैं :

«إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله» (رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح)

"जब माँगना हो तो केवल अल्लाह से माँगो, सहायता की आवश्यकता हो तो केवल अल्लाह से सहायता माँगो।" (सुनन तिर्मिज़ी) यह हदीस हसन सहीह है।

प्र-१६: क्या हम जीवित व्यक्तियों से सहायता माँग सकते हैं ?

उ-१६: जी हाँ, यदि वह सहायता करने की क्षमता रखते हों तो कोई हरज नहीं है। जैसे ऋृण माँगना, किसी कार्य में मदद माँगना। अल्लाह का फ़रमान है :

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ (المائدة:٢)

"शुभ, संयम कार्य में एक दूसरे की सहायता करो।" (अल-माइदा: २)

नबी ﷺ फ़रमाते हैं :

«والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه» (رواه مسلم)

"अल्लाह तआला उस व्यक्ति की मदद में होता है जब तक कि वह अपने भाई की सहायता में रहता है।" (सहीह मुस्लिम)

परन्तु: स्वास्थ्य, रोज़ी, तौफ़ीक़, इत्यादि केवल अल्लाह से माँगना अनिवार्य है। क्योंकि जीवित व्यक्ति भी इन कार्य से बेबस हैं, तो मृतकों की क्या क्षमता !! अल्लाह का वचन है :

﴿الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ O وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ O وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ﴾ (الشعراء:٧٨-٨٠)

"जिसने मुझे जन्म दिया, वही मुझे सत्य मार्ग दिखाता है, वही मुझे खिलाता और पिलाता है, तथा जब मैं रोगी हो जाऊँ तो वही मुझे स्वास्थ देता है।" (अल-शोअरा:७८-८०)

प्र-१७: अल्लाह के बिना किसी अन्य के नाम मिन्नत मानना कैसा है ?

उ-१७: अल्लाह के बिना किसी अन्य के नाम मिन्नत मानना एवं (चढ़ावा-चढ़ाना) जाइज़ नहीं है। अल्लाह ने हज़रत इमरान की पत्नी की हिकायत बयान की है :

﴿رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا﴾

(آل عمران:٣٥)

"(इमरान की पत्नी ने कहा:) ऐ मेरे परमात्मा! मैंने तेरे लिए मिन्नत मानी है कि मेरे पेट (उदर) में जो संतान है उसे मैं तेरी भक्ति के लिए स्वतन्त्र (आज़ाद) कर दूँगी।" (आले इमरान:३५)

नबी ﷺ फ़रमाते हैं :

«من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه» (رواه البخاري)

"जिसने यह मिन्नत मानी कि वह अल्लाह की इताअत (आज्ञा पालन) करेगा उसे चाहिए कि मिन्नत पूरी करे और जिसने यह मिन्नत मानी कि वह अल्लाह की नाफ़रमानी (अवज्ञा) करेगा, उसे चाहिए कि मिन्नत पूरी न करे (अर्थात अल्लाह की अवज्ञा न करे)।" (सहीह बुख़ारी)



जादू का हुक्म

प्र-१८: जादू का क्या हुक्म है ?

उ-१८: जादू महान अपराधों में से एक अपराध है जो कभी-कभार कुफ़्र को पहुँच जाता है। अल्लाह का वचन है :

﴿ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ﴾ (البقرة:١٠٢)

"परन्तु शैतानों ने कुफ़्र किया, वे मानव को जादू की शिक्षा देने लगे।" (अल-बक़रा:१०२)

नबी ﷺ का फ़रमान है :

«اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله والسحر...» الحديث (رواه مسلم).

"सात प्रकार के घातक कार्यों से बचो : अल्लाह के साथ किसी को साझी बनाना एवं जादू करना...।" (सहीह मुस्लिम)

प्राय: जादूगर अनेकेश्वरवादी और नास्तिक होता है। दण्ड के स्वरूप उसका क़त्ल करना अनिवार्य है। यह दण्ड उसके मिथ्यावाद के अनुसार है। जैसे: दृष्टिबंध, धार्मिक षड़यन्त्र, अशान्ति, अपराध के प्रति पर्दा पोशी करना, पति-पत्नी के बीच भेद एवं पृथकता पैदा करना, जीवन समाप्त करना, बुद्धि नष्ट करना इत्यादि।

प्र-१९: क्या हम इल्मे ग़ैब (परोक्ष ज्ञान) के प्रति दैवज्ञ नुजूमी (ज्योतिषी) एवं दीढ बंधों की पुष्टि एवं तस्दीक़ कर सकते हैं ?

उ-१९: उनकी पुष्टि करना अनुचित एवं नाजाइज़ है। अल्लाह का फ़रमान है :

﴿قُلْ لاَ يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ الْغَيْبَ إِلاَّ اللّهُ﴾
(النمل:٦٥)

"ऐ नबी ! आप कह दें, आकाश एवं धरती में अल्लाह के अलावा किसी को परोक्ष का ज्ञान नहीं।" (अल-नमल:६५)

नबी ﷺ फ़रमाते हैं :

«من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد» (صحيح، رواه أحمد)

"जो व्यक्ति किसी दैवज्ञ अथवा ज्योतिषी के पास जाये एवं उसके वचन की पुष्टि करे (उसे सत्य माने) तो नि:संदेह उसने उसका अस्वीकार किया जो मोहम्मद पर अवतरित किया गया है।" -अर्थात वह नास्तिक हो गया- (मुस्नद अहमद) यह हदीस सहीह है।



शिर्क असगर

प्र-२०: शिर्क असगर (छोटा अनेकेश्वाद) क्या है ?

उ-२०: शिर्क असगर महान पाप एवं अपराधों में से है, परन्तु उसका कर्ता नर्क में हमेशा नहीं रहेगा। शिर्क असगर के विभिन्न प्रकार हैं। उन्हीं में से रेयाकारी (दिखावा) है। अल्लाह का वचन है :

﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَلاَ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ (الكهف:١١٠)

"जो अल्लाह से भेंट करने की आशा रखता है उसे नेक काम करना चाहिए एवं अपने रब की इबादत में किसी को शरीक न करे।" (अल-कहफ़:११०)

नबी ﷺ फरमाते हैं :

«إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر: الريا»

(صحيح، رواه أحمد)

"मुझे तुम्हारे प्रति सबसे ज़्यादा शिर्क असगर का भय है और वह रेया है।" (अर्थात: दिखावे के लिए कोई कार्य करना) (मुसनद अहमद, सहीह)

प्र-२१: क्या अल्लाह के अतिरिक्त किसी अन्य की शपथ खाना जाइज़ है ?

उ-२१: अल्लाह के अतिरिक्त किसी अन्य की शपथ खाना जाइज़ नहीं है। अल्लाह का कथन है :

﴿قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ﴾ (التغابن:٧)

"आप कह दें : हाँ, मेरे रब (परमात्मा) की क़सम! तुम अवश्य जीवित किये जाओगे (उठाए जाओगे)।" (अल-तग़ाबुन:७)

नबी ﷺ का फ़रमान है :

«من حلف بغير الله فقد أشرك» (صحيح رواه أحمد)

"जिस ने अल्लाह के अलावा किसी की शपथ खाई उसने शिर्क किया।" (सहीह, मुस्नद अहमद)

आप ﷺ का यह भी वचन है :

«من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت»

"जो व्यक्ति शपथ खाना चाहे, वह अल्लाह की शपथ खाये अथवा चुप रहे।"

पैग़म्बरों अथवा वलियों की शपथ खाना शिर्क अकबर (महान अनेकेश्वरवाद) भी हो सकता है, जब शपथ खाने वाला यह भावना रखे कि इन्हे संसार में अधिकार प्राप्त है और वे उसे हानि पहुँचा सकते हैं, अत: वह वलियों के नाम झूठी शपथ खाने से भयभीत हो।

प्र–२२: क्या स्वास्थ्य के उद्देश्य से धागा एवं बाला या कड़ा पहन सकते हैं ?

उ–२२: यह सब पहनना जाइज़ नहीं है। अल्लाह का वचन है :

﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ﴾ (الأنعام:١٧)

"यदि अल्लाह तुझे कोई हानि पहुँचाना चाहे तो अल्लाह के अलावा उसे कोई नहीं टाल सकता।" (अल–अन्आम:१७)

हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ि अल्लाहु अन्हु से वर्णन है कि उन्होंने एक व्यक्ति के हाथ में बुख़ार से बचाव के लिए धागा बँधा हुआ देखा, उन्होंने उसे काट दिया एवं पवित्र क़ुरआन की यह आयत (श्लोक) पढ़ी :

﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلاَّ وَهُمْ مُشْرِكُونَ﴾

(يوسف:١٠٦)

"इनमें से अधिक लोग अल्लाह पर ईमान रखते हुए भी मुश्रिक (अनेकेश्वरवादी) हैं।" (यूसुफ़:१०६)

प्र-२३: क्या बुरी नज़र से बचाव के लिए पत्थर के दाने, कौड़ी इत्यादि लटका सकते हैं ?

उ-२३: इन वस्तुओं का लटकाना जाइज़ नहीं है। अल्लाह का वचन है :

﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ﴾

(الأنعام:١٧)

"यदि अल्लाह तुझे कोई हानि पहुँचाना चाहे तो उसे अल्लाह के अलावा कोई नहीं टाल सकता।" (अल-अन्आम:१७)

नबी ﷺ का फ़रमान है :

«من تعلق تميمة فقد أشرك» (صحيح، رواه أحمد)

"जिस ने तावीज़ (यन्त्र) लटकाया, उस ने शिर्क किया।" (मुसनद अहमद)

यह हदीस सहीह है।



वसीला एवं उसके प्रकार

प्र-२४: अल्लाह की नज़दीकी (निकटता) हासिल करने के लिए हमें कौन सा वसीला अपनाना चाहिए ?

उ-२४: वसीला दो प्रकार के हैं : एक जाइज़ दूसरा नाजाइज़ ।

१- जाइज़ वसीला :

अल्लाह के पवित्र नाम, सिफ़ात, शुभकार्य एवं जीवित सदाचारियों से दुआ कराना । अल्लाह का वचन है :

﴿وَلِلَّهِ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا﴾ (الأعراف:١٨٠)

'अल्लाह के पवित्र नाम है, उनके माध्यम से अल्लाह को पुकारो ।" (अल-आराफ़:१८०)

अल्लाह ने यह भी फ़रमाया :

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ﴾ (المائدة:٣٥)

"ऐ ईमानवालो ! अल्लाह का भय करो, एवं उसकी निकटता हासिल करो |" (अल–माइदा: ३५)

अर्थात अल्लाह की आज्ञापालन एवं अल्लाह के प्रति पसन्दीदा नेक काम के ज़रिये अल्लाह की निकटता प्राप्त करो |

नबी ﷺ फ़रमाते हैं :

«أسألك بكل اسم هولك سميت به نفسك» (صحيح، رواه أحمد)

"ऐ मेरे अल्लाह ! मैं तेरे प्रत्येक नाम से जो तूने अपने लिए मनोनीत किया है, तुझ से माँगता हूँ |" (मुसनद अहमद) यह हदीस सहीह है |

इसी प्रकार अल्लाह के अपने पैग़म्बरों एवं नेक बन्दों के साथ प्रेम, तथा हम इनके साथ अपनी मोहब्बत के ज़रिये से अल्लाह की नज़दीकी प्राप्त कर सकते हैं | इसलिए कि उनके सँग हमारी मोहब्बत एवं प्रेम शुभ कार्य हैं | जैसे: हम यह कह सकते हैं : ऐ अल्लाह ! तू अपने पैग़म्बरों एवं नेक बन्दों के साथ प्रेम के माध्यम से हमारी

सहायता कर तथा उनके साथ अपनी मित्रता के ज़रिये हमें स्वास्थ्य प्रदान कर।

२- नाजइज़ वसीला :

मृतकों को पुकारना, उनसे अपनी आवश्यकता की पूर्ति तलब करना, जैसाकि वर्तमान समय में बहुत से मुस्लिम समुदाय की दशा एवं अवस्था है। नि:संदेह यह शिर्क अकबर (महान अनेकेश्वरवाद) है। अल्लाह का वचन है:

﴿وَلاَ تَدْعُ مِنْ دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَنْفَعُكَ وَلاَ يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ (يونس:١٠٦)

"अल्लाह के अलावा किसी अन्य को न पुकारो, जो तुझे न लाभ पहुँचा सके न हानि, यदि ऐसा करोगे तो अवश्य ज़ुल्म करने वालों में से हो जाओगे।" (यूनुस : १०६)

३- नबी ﷺ के सम्मान (हस्ती) का वसीला अपनाना :

जैसे - यह कहना "ऐ मेरे परमात्मा मोहम्मद के सम्मान एवं हस्ती के तुफ़ैल में मुझे स्वास्थ्य प्रदान कर।" यह भी ग़लत है, क्योंकि इस प्रकार के वसीलों का कोई प्रमाण नबी के सर्वश्रेष्ठ साथियों के जीवनकाल में नहीं मिलता।

जब नबी ﷺ इस संसार से रेहलत (मृत्यु) फ़र्मा गये तो हज़रत उमर ने नबी के चचा हज़रत अब्बास से जो कि जीवित थे, दुआ के लिए निवेदन किया, नबी से नहीं किया।

इस प्रकार का वसीला शिर्क तक पहुँचा सकता है, जब यह भावना रखे कि अल्लाह इंसान के वसीले का मुहताज है, जिस प्रकार राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के प्रति माध्यम का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की भावना रखने वाला सृष्टिकर्ता परमात्मा का मानव जाति के साथ तुलना करता है जो कि महान शिर्क है।

इमाम अबू हनीफ़ा का उपवचन है :

"मैं इस बात को मकरूह समझता हूँ कि अल्लाह के अलावा किसी अन्य से माँगू।" (अल-दुर्रूल मुख़्तार)

पुराने उलमा के नज़दीक़ कराहत का मतलब हराम है।



दुआ एवं उसका हुक्म

प्र-२५: क्या दुआ की स्वीकृति के लिए किसी व्यक्ति का वसीला अपनाना अनिवार्य है ?

उ-२५: दुआ की स्वीकृति के लिए किसी व्यक्ति के वसीले की आवश्यकता नहीं है। अल्लाह का फ़रमान है:

﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ﴾ (البقرة:١٨٦)

"ऐ नबी जब मेरे बन्दे तुझ से मेरे विषय में प्रश्न करें तो कह दो कि मैं उनसे बहुत निकट हूँ।" (अल-बक़रा:१८६)

नबी ﷺ का फ़रमान है :

«إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم» (رواه مسلم)

"नि:संदेह तुम लोग उस अल्लाह को पुकार रहे हो जो सुनता है, निकट है तथा तुम्हारे साथ है।" (सहीह मुस्लिम)

अर्थात वह अपने इल्म एवं ज्ञान से तुम्हारे साथ है और तुम्हारी पुकार को सुनता है तथा तुम्हे देखता है।

प्र-२६: क्या जीवित व्यक्तियों से दुआ के लिए निवेदन करना जाइज़ है ?

उ-२६: हाँ, जीवित व्यक्तियों से दुआ के लिए निवेदन करना जाइज़ है, परन्तु मृतकों से नहीं। अल्लाह ने नबी ﷺ को सम्बोधित करते हुए फ़रमाया :

﴿وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ (محمد:١٩)

"अपने गुनाहों की बख़्शिश माँगो और मोमिन पुरूषों एवं मोमिन महिलाओं के लिए अल्लाह से क्षमा माँगते रहो।" (मुहम्मद:१९)

सुनन तिर्मिज़ी में एक सहीह हदीस है कि एक अँधा व्यक्ति नबी ﷺ की सेवा में उपस्थित हुआ एवं निवेदन किया: ऐ अल्लाह के उपदेशक! मेरे लिए अल्लाह से प्रार्थना कीजिए कि मेरी दृष्टि पुन: लौट आये। आप ने फ़रमाया : "तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं दुआ कर देता हुँ और यदि संतोष कर लो तो यह तुम्हारे पक्ष में अति लाभदायक होगा।"

प्र-२७: नबी ﷺ की शफ़ाअत (सिफ़ारिश) किस से माँगी जाये ?

उ-२७: अल्लाह से प्रार्थना करनी चाहिए कि ऐ अल्लाह ! हमें नबी की शेफ़ाअत प्रदान कर। अल्लाह का फ़रमान है :

﴿قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا﴾ (الزمر: ٤٤)

"ऐ नबी ! कह दो कि हर प्रकार की शफ़ाअत (अभिस्ताव) अल्लाह के अधिकार में है।" (अल-ज़ुमर: ४४)

तिर्मिज़ी में एक रिवायत है कि नबी ने एक सहाबी को इस प्रकार प्रार्थना करना सिखाया :

«اللهم شفعه في» (رواه الترمذي وقال: حسن صحيح)

"ऐ अल्लाह ! रसूल को मेरा सिफ़ारिशी बना।" (सुनन तिर्मिज़ी) यह हदीस हसन सहीह है।

नबी ﷺ फ़रमाते हैं :

«إني خبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة

إن شاء الله، من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا»

(رواه مسلم)

"मैंने अपनी दुआ को क़ियामत (महाप्रलय) के दिन अपनी उम्मत (समुदाय) की शफ़ाअत (अभिस्ताव) के लिए गुप्त रखा है, यदि अल्लाह ने चाहा तो मेरी शफ़ाअत मेरी उम्मत के हर उस व्यक्ति को प्राप्त होगी, जो मृत्युकाल तक अल्लाह के साथ किसी को साझी न ठहराया हो।" (सहीह मुस्लिम)

प्र-२८: क्या जीवित व्यक्तियों की सिफ़ारिश (अनुशंसा) ली जा सकती है ?

उ-२८: संसारिक कामकाज में जीवित व्यक्तियों से सिफ़ारिश कराना जाइज़ है। अल्लाह का वचन है:

﴿مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا﴾ (النساء:٨٥)

"जो व्यक्ति नेक कार्य की सिफ़ारिश करेगा उसे उसके पुण्य में से एक भाग प्राप्त होगा, और जो

बुरे कार्य की सिफ़ारिश करेगा तो उसे उसके पाप में से एक भाग मिलेगा ।" (अल-निसा:८५)

नबी ﷺ का कथन है :

«اشفعوا تؤجروا» (صحيح، رواه أبو داود)

"शुभ कार्य की सिफ़ारिश करो, तुम्हे अच्छा फल प्राप्त होगा ।" (अबू दाउद) यह हदीस सहीह है ।



सूफ़ियत और उसका ख़तरा

प्र-२९: सूफ़ियत (अध्यात्मवाद) के बारे में इस्लाम का क्या हुक्म है ?

उ-२९: नबी ﷺ, उनके सहाबा एवं ताबईन के जीवनकाल में अध्यात्मवाद का वजूद नहीं था, यह उस समय ज़ाहिर हुआ जब यूनानी पुस्तकों का अरबी में अनुवाद किया गया।

सूफ़ियत विभिन्न इस्लामी शिक्षाओं के प्रतिकूल एवं विपरीत है। जैसे :

१- अल्लाह के अतिरिक्त अन्य से दुआ माँगना :

अधिकाँश (अकसर) सूफ़ी अललाह के अलावा मृतकों से दुआ माँगते हैं। जबकि नबी ﷺ का फ़रमान है :

«الدعاء هو العبادة» (رواه الترمذي وقال: حسن صحيح)

"दुआ इबादत (उपासना) है।" (सुनन तिर्मिज़ी)

और कहा : यह हदीस हसन सहीह है।

जब दुआ, उपासना के अर्न्तरगत है तो उसे अल्लाह के अलावा किसी अन्य के लिए करना महान अनेकेश्वरवाद है, जिसे दूसरे भी शुभ कार्य नष्ट हो जाते हैं।

२- अधिकतर सूफ़ी लोग यह अक़ीदा रखते हैं कि अल्लाह स्वयं अपने अस्तित्व के साथ प्रत्येक स्थान में उपस्थित है। जबकि यह क़ुरआन का ख़ुला विरोध है। क़ुरआन कहता है :

﴿الرَّحْمَانُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ (طه:٥)

"रहमान (अल्लाह तआला) आकाश में अर्श (सिंहासन) पर बिराजमान है।" (ताहा:५)

सहीह बुख़ारी में है कि अल्लाह अर्श पर बुलन्द हो गया है।

३- कुछ सूफ़ी यह भावना रखते हैं कि अल्लाह अपनी मख़्लूकात में होलूल (विलीन) कर गया है। दमिश्क में भूमिहित सूफ़ियों का महान प्रसिद्ध नायक "इब्ने अरबी" यहाँ तक कह दिया है :

«العبد رب، والرب عبد   يا ليت شعري من المكلف»

"बन्दा ही रब है और रब ही बन्दा है।"

यानी उपासक ही ईश्वर है, एवं ईश्वर ही उपासक है। काश मुझे यह ज्ञान होता कि उत्तरदायी कौन है ?"

एक शैतान सूफ़ी का कहना है :

«وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيسة»

"कुत्ता एवं सुअर तो हमारे ईश्वर हैं तथा गिरजाघर में जो पादरी है वही तो अल्लाह है।"

४- अधिकतर सूफ़ी यह मत रखते हैं कि अल्लाह ने इस संसार की सृष्टि मोहम्मद ﷺ के कारण की है। जबकि यह मत क़ुरआनी संदेश का स्पष्ट ख़िलाफ़ (विपरीत) है। अल्लाह का वचन है :

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ﴾ (الذاريات:٥٦)

"मैंने जिन्न तथा मनुष्य की सृष्टि इसलिए की है कि वे केवल मेरी इबादत (उपासना) करें।" (अल-ज़ारियात:५६)

अल्लाह का यह भी फ़रमान है :

﴿وَإِنَّ لَنَا لَلآخِرَةَ وَالأُولَى﴾ (الليل:١٣)

"निःसंदेह आख़िरत और संसार के मालिक हम हैं।" (अल-लैल:१३)

५- अधिकतर सूफ़ियों का यह कहना है कि अल्लाह ने मोहम्मद ﷺ की सृष्टि अपने नूर (प्रकाश) से की, एवं मोहम्मद के नूर (प्रकाश) से अन्य प्राकृति (मख़लूक़) को पैदा किया, तथा मोहम्मद अल्लाह की पहली मख़लूक़ हैं। (अर्थात सबसे पहले अल्लाह ने मोहम्मद की सृष्टि की) यह सभी अक़ीदे क़ुरआन के ख़िलाफ़ (विपरीत) हैं।

६- सूफ़ियों की प्रतिकूलताओं में से : औलिया (ऋृषि, मुनि) के नाम मिन्नत मानना, उनकी समाधियों (क़ब्रों) का तवाफ़ करना, क़ब्रों पर कलश मज़ार एवं गुंबद बनाना, ज़िक्र व अज़कार एवं दुआयें ग़ैर इस्लामी रूप से करना, जो अल्लाह और उसके रसूल से प्रमाणित नहीं। ज़िक्र करते समय झूमना, गीत और गाने की तरह दुआ पढ़ना, नाचरँग करना, यंत्र, जादू तथा दीठबंदी करना, अनुचित रूप से समाज का माल खाना, लोगों के साथ छल व्यवहार करना इत्यादि हैं।



क़ुरआन एवं हदीस के प्रति हमारा व्यवहार

प्र-३०: क्या हम अल्लाह एवं उसके रसूल के फ़रमान पर किसी अन्य के वचन को प्रधानता दे सकते हैं?

उ-३०: अल्लाह एवं उसके रसूल के फ़रमान पर हम किसी अन्य के वचन को प्रधानता नहीं दे सकते। क्योंकि अल्लाह का आदेश है :

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾

(الحجرات:١)

"ऐ ईमानवालो ! तुम लोग अल्लाह एवं उसके रसूल से आगे मत बढ़ो।" (अल-हुजुरात:१)

नबी ﷺ का वचन है :

«لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» (صحيح، رواه أحمد)

"अल्लाह तआला की नाफ़रमानी करके इंसानों की इताअत करना जाइज़ नहीं है।" (मुसनद अहमद)

हज़रत इब्ने अब्बास ने फ़रमाया :

«أراهـم سيهلـكون، أقـول: قـال النبي ﷺ، ويقـولون قـال أبو بكر وعمر» (رواه أحمد وغيره)

"मुझे लगता है कि यह लोग हेलाक (विनष्ट) कर दिए जायेंगे, मैं इन से कहता हूँ कि अल्लाह के रसूल ने यह फ़रमाया, परन्तु यह कहते हैं कि अबू बक्र एवं उमर ने ऐसा फ़रमाया।" (मुसनद अहमद इत्यादि)

प्र-३१: यदि धार्मिक मामलों में हमारे बीच इख़्तेलाफ़ (भिन्नता) हो जाये तो हमें क्या करना चाहिए ?

उ-३१: इस अवस्था में हमें क़ुरआन एवं हदीस की ओर मामले को लौटाना चाहिए।

अल्लाह का कथन है :

﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً﴾ (النساء:٥٩)

"यदि किसी विषय में तुम्हारे बीच मतभेद हो जाये

तो समाधान के लिए उसे अल्लाह एवं उसके दूत की ओर लौटाओ, यदि तुम अल्लाह तथा क़यामत (महाप्रलय) के दिन पर ईमान रखते हो, यह तुम्हारे लिए बेहतर है तथा इसका परिणाम उत्तम है।" (अल-निसा:५९)

नबी ﷺ का फ़रमान है :

«تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله» (رواه مالك وصححه الألباني في صحيح الجامع)

"मैं तुम्हारे बीच दो ऐसी चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ, जब तक तुम इन दोनों को मज़बूती से थामे रहोगे कदापि गुमराह (पथभ्रष्ट) नहीं होगे, वह अल्लाह की किताब (क़ुरआन) एवं उसके रसूल की सुन्नत (हदीस) हैं।" (मोवत्ता मालिक, सहीह अलजामे)

प्र-३२: उस व्यक्ति के प्रति इस्लाम का क्या हुक्म है जो यह भावना रखे कि इस्लामी आदेशात्मक एवं निषेधात्मक शिक्षाएँ (अवामिर एवं नवाही) उसके लिए अनिवार्य नहीं हैं तथा वह इसका उत्तरदायी नहीं है ?

उ-३२: ऐसा व्यक्ति काफ़िर, धर्मभ्रष्ट एवं इस्लाम से बाहर है, क्योंकि पूजा केवल अल्लाह के लिए है। "लाइलाह इल्लल्लाहो मोहम्मदुर्रसूलुल्लाह" के स्वीकार का उद्देश्य भी यही है। इबादत एवं पूजा वास्तविक रूप से उस समय तक पूर्ण नहीं हो सकती जब तक कि हर एक विषय में अल्लाह की आज्ञापालन न की जाए और उसे 'माबूद' न मान लिया जाए। अर्थात: ईमान एवं अक़ीदा के मामले में, उपासना एवं भक्ति के अभियाचन में इस्लामी नियम को ही मध्यस्थ स्वीकार करना, जीवन के प्रत्येक कार्यक्षेत्र में अल्लाह के आदेश का पालन करना। हलाल तथा हराम घोषित करना केवल अल्लाह का अधिकार है। बिना ईश्वरीय तर्क एवं प्रमाण के किसी वस्तु तथा कार्य को हलाल या हराम क़रार देना, एक प्रकार का शिर्क है, जो अल्लाह की पूजा एवं इबादत में अन्य को साझी ठहराने के समान है।



क़ब्रों की ज़ियारत और उस के आदाब

प्र-३३: क़ब्रों की ज़ियारत (समाधि दर्शन) का क्या हुक्म है, तथा इसका उद्देश्य क्या है ?

उ-३३: पुरूषों के लिए किसी भी समय क़ब्रों की ज़ियारत करना जाइज़ (मनोनीत) है लेकिन महिलावृन्द के लिए मना (प्रतिबन्द्ध) है।

इसके विभिन्न उद्देश्य एवं आदाब हैं :

१- इसमें याद दिहानी एवं पाठ है। ताकि जीवित व्यक्ति यह ध्यान रखें कि उन्हे भी एक दिन अवश्य मरना है, अत: शुभ कर्म में लग जायें।

नबी ﷺ का फ़रमान है :

«كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها» (رواه مسلم)

"नि:संदेह मैंने तुम्हे क़ब्रों की ज़ियारत से रोक दिया था परन्तु अब अनुमति दे रहा हूँ कि तुम लोग क़ब्रों की ज़ियारत करो।" (सहीह मुस्लिम)

एक अन्य रिवायत में है :

«فإنها تذكركم بالآخرة» (صحيح رواه أحمد وغيره)

"यह तुम्हें आख़िरत (परलोक) की याद दिलाएगी।" (मुस्नद अहमद इत्यादि)

२- हमें मृतकों की बख्शिश के लिए दुआ करनी चाहिए। हम मृतकों को न तो पुकारें न उनसे दुआ के लिए निवेदन करें। नबी ﷺ ने अपने साथियों को शिक्षा दी थी कि क़ब्रिस्तान में प्रवेश करते समय यह दुआ पढ़ें :

«السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أسأل الله لنا ولكم العافية» (رواه مسلم)

"ऐ इस स्थान के मुस्लिम तथा मोमिनों! तुम पर अल्लाह की शान्ति एवं कृपा हो, इंशा अल्लाह हम तुमसे अवश्य मिलने वाले हैं, हम अपने एवं तुम्हारे लिए अल्लाह से शान्ति की याचना करते हैं।" (सहीह मुस्लिम)

३- क़ब्रों पर न तो बैठना चाहिए न उसकी ओर मुख

करके नमाज़ पढ़नी चाहिए। नबी ﷺ फ़रमाते हैं :

«لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها» (رواه مسلم)

"क़ब्रों पर न बैठो, न उस दिशा चेहरा करके नमाज़ पढ़ो।" (सहीह मुस्लिम)

४- क़ब्रों पर क़ुरआन बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए चाहे सूर: फ़ातिहा ही क्यों न हो। नबी ﷺ का वचन है :

«لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة» (رواه مسلم)

"अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ, नि:संदेह शैतान उस आवास से भाग जाता है जिसमें सूर: बक़रा पढ़ी जाए।" (सहीह मुस्लिम)

इस हदीस में संकेत है कि कब्रिस्तान क़ुरआन पढ़ने का स्थान नहीं है, इसके प्रत्युत घर (आवास) वह स्थान है जहाँ क़ुरआन पढ़ना चाहिए।

नबी ﷺ एवं उनके साथियों से इसका कोई प्रमाण नहीं है कि उन्होंने मृतकों के लिए क़ुरआन पढ़ा हो, बल्कि वे मृतकों के लिए दुआ करते थे। नबी ﷺ जब किसी मृतक

को दफ़ना कर फ़ारिग़ होते तो वहाँ कुछ देर ठहरते तथा फ़रमाते :

«استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل»

(صحيح رواه الحاكم)

"अपने भाई की बख़्शिश के लिए अल्लाह से प्रार्थना करो, एवं इसकी साबित क़दमी (दृढ़ता) के लिए दुआ करो, क्योंकि इससे अभी पूछताछ कि जाएगी।" (मुस्तद्रक हाकिम) यह हदीस सहीह है।

५- क़ब्रों पर फूल, धूप, सुमन इत्यादि नहीं रखना चाहिए क्योंकि नबी एवं उनके साथियों ने ऐसा नहीं किया, साथ ही इसमें नसारा (इसाईयों) के साथ मुशाबेहत (अनुरूपता) है। यदि हम फूलों का दाम निर्धन, ग़रीब व्यक्तियों को दान कर दें तो मृतक एवं भिखारी दोनो को अवश्य इसका लाभ पहुँचेगा।

६- चूना अथवा पेन्ट से क़ब्रों की लीप पोत नहीं करनी चाहिए, न उन पर कलश, गुँबद इत्यादि बनाना चाहिए। क्योंकि हदीस में है :

«نهي رسـول الله ﷺ أن يجصص القبر و أن يبنى عليه»
(رواه مسلم)

"नबी ﷺ ने क़ब्र को चूना से पोतने एवं उस पर कलश, दीवाल (इत्यादि) बनाने से मना फ़रमाया है।" (सहीह मुस्लिम)

७- ऐ मेरे मुसलमान भाई! मृतकों को पुकारने, उनसे दुआ कराने, तथा उनसे सहायता के लिए अनुरोध करने से बचो, क्योंकि यह महान शिर्क है। मृतकों को किसी प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं, केवल अल्लाह से माँगो, वही शक्तिमान है एवं वही दुआ (पुकार) स्वीकृत करने वाला है।



क़ब्रों पर सज्दा करना एवं जानवर ज़ब्ह करना

प्र-३४: क़ब्रों पर सज्दा करना एवं जानवर ज़ब्ह करना कैसा है ?

उ-३४: क़ब्रों के निकट सज्दा करना एवं जानवर ज़ब्ह करना जाहिलियत के काल की मूर्ति पूजा, एवं शिर्क अकबर है। क्योंकि ज़ब्ह एवं सज्दा महान इबादत (अराधना) है, और इबादत केवल अल्लाह के लिए होनी चाहिए जो इसे किसी अन्य के लिए करेगा वह मुशरिक है। अल्लाह का वचन है :

﴿قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾ (الأنعام:١٦٢،١٦٣)

"आप कह दें कि नि:संदेह मेरी नमाज़, बलिदान, जीना तथा मरना केवल अल्लाह के लिए हैं जो

पूरी जगत का मालिक है, उसका कोई साझी नहीं, मुझे ऐसा ही आदेश दिया गया है तथा मैं सब मानने वालों में से पहला हूँ ।" (अल-अन्आम:१६२, १६३)

अल्लाह का यह भी वचन है :

﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ○ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ (الكوثر:١،٢)

"बेशक हम ने आप को क़ौसर प्रदान किया है, अत: अपने मालिक के लिए नमाज़ पढ़िए एवं क़ुर्बानी (बलिदान) कीजिए ।" (अल-कौसर:१,२)

इसके अतिरिक्त विभिन्न क़ुरआनी श्लोक हैं जो यह स्पष्ट करते हैं कि सज्दा एवं ज़ब्ह इबादत हैं, और इन दोनों को किसी अन्य के लिए करना महान शिर्क है ।

प्र-३५: औलिया (सदाचारी भक्तों) की क़ब्रों का तवाफ़ करना, उनके लिए भेंट चढ़ाना, नज़र एवं मिन्नत मानना कैसा है? इस्लामी दृष्टिकोण से वली किसे कहते हैं ? क्या औलिया से (चाहे जीवित हों या मृतक) दुआ के लिए निवेदन करना जाइज़ है ?

उ-३५: मृतकों के लिए बलिदान करना, भेंट चढ़ाना, नज़र एवं मिन्नत मानना महान शिर्क है।

वली वह है जो अल्लाह की इताअत (आज्ञापालन) करे, वही कार्य करे जिसका आदेश दिया गया है तथा उस कार्य से बचे जिसे निषेध किया गया है, यद्यपि उसके हाथ पर कोई करामत (चमत्कार) प्रकट न हो।

मृत्यु के बाद वली अथवा अन्य व्यक्तियों से दुआ के लिए निवेदन करना जाइज नहीं है, परन्तु जीवित सदाचारियों से दुआ कराना जाइज है। क़ब्रों का तवाफ़ करना जाइज़ नहीं है। तवाफ़ केवल काबा शरीफ़ के साथ ख़ास है।

जो व्यक्ति क़ब्रों का तवाफ़ इस उद्देश्य से करे कि वह इस के द्वारा क़ब्रवासियों की निकटता प्राप्त करेगा तो यह महान शिर्क है, और यदि इससे उसका लक्ष्य अल्लाह की निकटता प्राप्त करना है तो यह मर्दूद एवं अस्वीकृत बिदअत (आविष्कार) है।

क़ब्रों का न तो तवाफ़ किया जाएगा न उस ओर नमाज़ पढ़ी जाएगी, यद्यपि इसका उद्देश्य अल्लाह की प्रसन्नता प्राप्त करना क्यों न हो।



दावत एवं तबलीग़

प्र-३६: अल्लाह की ओर दावत व तबलीग़ करने का क्या हुक्म है ?

उ-३६: यह प्रत्येक मुसलमान का कर्तव्य है, जिसे अल्लाह ने क़ुरआन एवं हदीस प्रदान किया है। अल्लाह की ओर निमन्त्रण देने का जो आदेश आया है वह प्रत्येक मुसलमान को शामिल है। अल्लाह का आदेश है :

﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ﴾ (النحل:١٢٥)

"अपने रब (मालिक) के मार्ग की ओर लोगों को हिक्मत और बेहतरीन नसीहत के साथ बुलाईये।" (अल-नहल:१२५)

साथ ही अल्लाह ने फ़रमाया :

﴿وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ﴾ (الحج:٧٨)

"और अल्लाह की राह में वैसा ही जिहाद करो जैसे जिहाद का हक़ है।" (अल-हज: ७८)

अतः प्रत्येक मुसलमान पर अनिवार्य है कि जिहाद के हर प्रकार में यथा संभव सहभागी हों। विशेषकर वर्तमान काल में मुसलमानों पर ज़रूरी है कि इस्लामी शिक्षाओं का पालन करें, अल्लाह के मार्ग की ओर बुलायें, अल्लाह के मार्ग में जिहाद करें, यह ज़िम्मेदारी प्रत्येक मुसलमान पर लागू है। जो व्यक्ति इसकी अदाएगी (चुक्ति) में कोताही करेगा उसे अल्लाह का नाफ़रमान (अवज्ञाकारी) माना जाएगा।



क़ब्र इत्यादि को छूने का हुक्म

प्र-३७: नबी ﷺ अथवा अन्य रसूलों एवं नेक लोगों की क़ब्रों को छूना कैसा है ? इसी प्रकार मुकामे इब्राहीम, काबा की दीवार, उसके ग़िलाफ़ एवं द्वार को छूना कैसा है ?

उ-३७: हज़रत अबूल अब्बास -रहेमहुल्लाह- ने बयान किया है कि इस्लामी उलमाओं (विद्वानों) का इस बात पर इत्तिफाक़ है कि जो व्यक्ति नबी ﷺ या किसी अन्य नबी तथा लोगों की क़ब्र का दर्शन करे तो न उसे छूए और न चूमें ।

हज्रे अस्वद के अतिरिक्त पृथ्वी में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे चूमना धार्मिक दृष्टिकोण से उचित हो । सहीह बुख़ारी एवं सहीह मुस्लिम में हज़रत उमर रज़ि अल्लाहु अन्हु का वचन है :

«والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله ﷺ يقبلك ما قبلتك»

"अल्लाह की क़सम! मैं जानता हूँ कि तू एक पत्थर है, न तो तू हानि पहुँचा सकता है न लाभ, यदि मैंने नबी ﷺ को तुझे चूमते हुए न देखा होता तो मैं तुझे कभी नहीं चूमता।"

अल्लाह का घर (काबा) किसी इन्सान के घर की तरह नहीं है, यह तो अल्लाह का घर है, अल्लाह के घर के कोने को छूना अथवा चूमना भिन्न बात है।

इमाम ग़ज़ाली -रहेमहुल्लाह- फ़रमाते हैं:

"क़ब्रों का छूना नसारा (इसाई) एवं यहूदी की रीति है।"

मुक़ामे इब्राहीम के विषय में हज़रत क़तादह फ़रमाते हैं:

"मुसलमानों को उसके पीछे नमाज़ पढ़ने का आदेश दिया गया है उसे छूने का आदेश नहीं दिया गया।"

इमाम नववी -रहेमहुल्लाह- का वचन है :

"मुक़ामे इब्राहीम को न तो चूमा जाये न उसे छुआ जाये, क्योंकि ऐसा करना बिदअत है, अर्थात इसका कोई प्रमाण नहीं है।"

इमाम अबूल अब्बास ने चारों इमामों एवं अन्य विद्वानों का इस बात पर इत्तिफ़ाक़ (सम्मत) नक़ल किया है कि

काबा के दोनों शामी कोने अथवा अन्य किसी भाग को नहीं चूमा जायेगा, क्योंकि नबी ﷺ ने केवल दोनों यमानी कोने को छूआ था।

अत: जब काबा के कोने को छूने की अनुमति नहीं है तो फिर काबा के ग़िलाफ़ (पिधान) उसके द्वार को छूना कैसे उचित होगा? इसी प्रकार हरमे मक्की एवं मस्जिदे नबवी के द्वार का छूना जाइज़ नहीं है।

अल्लाह हम सब को सहीह अक़ीदा अपनाने की तौफ़ीक़ प्रदान करे। आमीन

अनुवादक :

मोहम्मद सलीम साजिद नेपाली

धनौजी-३, धनुषा (नेपाल)

(रियाध : २२-१२-१४२४ हिजरी)



(هندي)

مسائل مهمة في العقيدة الصحيحة

إعداد:
فضيلة الشيخ محمد جميل زينو
ترجمة:
محمد سليم ساجد النيبالي

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات
بغرب الديرة - ص.ب: ١٥٤٤٨٨ الرياض: ١١٧٣٦
هاتف: ٤٣٩١٩٤٢ فاكس: ٤٣٩١٨٥١